मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सअ/शा.पूंजी.नि./1/संविसं/2025/8522 भोपाल, दिनांक 27 मार्च, 2025

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग
   अध्यक्ष, राजस्व मण्डल,
   समस्त विभागाध्यक्ष,
   समस्त संभागायुक्त,
   समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,
2. राज्य शासन के समस्त
   निकाय/निगम/मण्डल/बोर्ड/उपक्रम/विश्वविद्यालय

विषय:- राज्य शासन के निकाय/निगम/मण्डल/बोर्ड/उपक्रम/विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध कोष का बैंकों में विनियोजन संबंधी मार्गदर्शी अनुदेश।

संदर्भ:- वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक सअ/शा.पूंजी.नि./1/संविसं/2015/3240 दिनांक 31.10.2015 एवं क्रमांक सअ/शा.पूंजी.नि./1/संविसं/2015/3296 दिनांक 07.11.2015

---00---

राज्य शासन के विभिन्न निकाय/निगम/मण्डल/उपक्रम/बोर्ड/विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध कोष का विनियोजन बैंकों में किये जाने संबंधी उपरोक्त सन्दर्भित परिपत्रों को अधिक्रमित करते हुए नवीन मार्गदर्शी अनुदेश निम्नानुसार जारी किए जाते हैं।

इन अनुदेशों की परिधि से स्थानीय स्वायत्तशासी शहरी एवं ग्रामीण निकाय/निगम (ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत / जिला पंचायत एवं नगर परिषद / नगर पालिका / नगर निगम) मुक्त रहेंगे |

शासन से अनुदान प्राप्त स्वायत्तशासी शासकीय विश्वविद्यालयों पर यह अनुदेश लागू होंगे |

1. उद्देश्य

शासन के समस्त निकाय/निगम/मण्डल/बोर्ड/उपक्रम/विश्वविद्यालय के कोष की सुरक्षा, वार्षिक साख योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रोत्साहन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों (Priority Sector) में अधिकाधिक वित्त पोषण, बैंको के माध्यम से संचालित ऋण आधारित हितग्राही मूलक योजनाओं में उपलब्धि, वित्तीय समावेशन (financial inclusion) के माध्यम से अधिकाधिक पहुँच एवं लोक धन की सुरक्षा तथा अभिवृद्धि के दृष्टिगत प्रतियोगी दरों पर अधिकतम ब्याज प्राप्ति की सुनिश्चितता के आधार पर विनियोजन किया जाना है।

2. कोष

"कोष" का आशय संस्थान के परिचालन व्यय, करों के भुगतान, कार्यशील पूँजी, ऋण सेवा, पूँजीगत अधिशेष, पूँजीगत व्यय, व्यवसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपलब्ध धनराशि से है |

3. बैंक

3.1 बैंक का आशय भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42(6) के खण्ड (अ) की दूसरी अनुसूची में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/सहकारी बैंक (वर्तमान सूची परिशिष्ट – 1 पर) है | इस परिधि से नागरिक सहकारी बैंकों को बाहर रखा जायेगा।

3.2 राज्य शासन की अंशधारिता होने के कारण प्रदेश में कार्यरत म.प्र. राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कोष के विनियोजन में प्राथमिकता दी जाए ।

4. सक्षम अधिकारी

सक्षम अधिकारी से आशय संबंधित संस्थान के नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत विनियोजन के निर्णय हेतु नियत सक्षम स्तर।

5. कोष के विनियोजन हेतु मार्गदर्शी अनुदेश

5.1 कोष का सावधि जमा हेतु विनियोजन यथा संभव न्यूनतम एक वर्ष या राशि के व्यय के आंकलन की तिथि जो भी पूर्वतर हो, के लिए किया जाए।

5.2 कोष का विनियोजन, संस्थान द्वारा लिए जा रहे ऋण की औसत ब्याज दर से अधिक ब्याज दर पर हो।

5.3 कोष का विनियोजन म्युचुअल फण्ड अथवा गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों में नही होना चाहिए।

5.4 कोष का विनियोजन, सक्षम प्राधिकारी के निर्णय से ही किया जाए।

5.5 निकाय/निगम/मण्डल/उपक्रम/बोर्ड/विश्वविद्यालय के बैंक खाते (बचत/चालू) कोष की सुरक्षा की दृष्टि से परिशिष्ट-1 पर संलग्न सूची में सम्मलित बैंको में ही संधारित किया जाए | नवीन बचत खाता खोले जाने हेतु पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाई जायेगी |

5.5.1 नवीन बचत खाता खोलने के लिए परिशिष्ट-1 पर संलग्न सूची में सम्मलित सभी बैंको से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस का समय दिया जायेगा | विशेष परिस्थितियों में कारण दर्शित करते हुए समय सीमा को 7 दिवस तक सीमित किया जा सकेगा |

5.5.2 प्राप्त प्रस्तावों में से सर्वाधिक ब्याज दर प्रदाय करने वाले बैंक का चयन नवीन बैंक खाते खोले जाने हेतु किया जायेगा |

5.6 निकाय/निगम/मण्डल/उपक्रम/बोर्ड/विश्वविद्यालय के कोष की न्यूनतम 50 प्रतिशत राशि को सावधि जमा के रूप में परिशिष्ट-1 पर संलग्न सूची में सम्मलित बैंको में विनियोजन किया जाना अनिवार्य होगा |

5.7 कोष का सावधि जमा में विनियोजन बैंको के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर अधिकतम ब्याज दर पर किया जायेगा | इस हेतु बिंदु 5.5 अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा |

5.8 वित्त विभाग द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं (CSS) की राशि एवं उनके उपयोग के अनुश्रवण की प्रक्रिया के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 539/आर-915/2020/ब-1/चार

दिनांक 18.06.2021 के बिन्दु क्रमांक 3.3 के अनुक्रम में सिंगल नोडल एजेंसी (SNA) एवं क्रियान्वयन एजेंसी (IA) से संबंधित खाते परिशिष्ट-1 पर संलग्न सूची में सम्मलित बैंको (सहकारी बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को छोड़कर) में ही परिचालित किये जा सकेंगे ।

यदि किसी भी संस्था द्वारा पूर्व में सिंगल नोडल एजेंसी (SNA) एवं क्रियान्वयन एजेंसी (IA) से संबंधित खाते परिशिष्ट-1 पर संलग्न सूची में सम्मलित बैंको (सहकारी बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को छोड़कर) के अतिरिक्त अन्य बैंको में खोले गये हैं तो ऐसे खातों को 30 अप्रैल 2025 के पूर्व स्थानांतरित किया जाए |

6. **<u>परिशिष्ट-1 पर संलग्न सूची में सम्मलित बैंको में निवेशित सावधि जमा राशि हेतु न्यूनतम राशि की गणना</u>**

परिशिष्ट-1 पर संलग्न सूची में सम्मलित बैंको में सावधि जमा न्यूनतम 50 प्रतिशत निवेशित राशि की गणना निकाय/निगम/मण्डल/उपक्रम/बोर्ड/विश्वविद्यालय के बैंकों में संधारित खातों की कुल सावधि जमा राशि के आधार पर की जायेगी | जिस माह में उल्लेखित संस्थाओं द्वारा राशि निवेश का निर्णय लिया जाना है, उस माह की प्रथम तारीख को सावधि जमा की राशि की गणना की जायेगी | निवेश के उपरांत भी परिशिष्ट -1 पर संलग्न सूची में सम्मलित बैंको में सावधि जमा राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत का पालन किया जाना अनिवार्य होगा |

उदाहरण:- यदि, निकाय/निगम/मण्डल/उपक्रम/बोर्ड/विश्वविद्यालय के कोष की सावधि जमा कुल राशि माह की 1 तारीख को रू. 100 करोड़ है :-

(अ) सावधि जमा राशि	**रू. 100 करोड़**
(ब) परिशिष्ट-1 पर संलग्न सूची में सम्मलित बैंको में न्यूनतम विनियोजन योग्य राशि	**रू. 100 x 50% = $\frac{100x50}{100}$ = रू. 50 करोड़**

7. **<u>निजी क्षेत्र की बैंको में निवेश</u>**

7.1 उपलब्ध कोष को कंडिका (6) के अनुसार विनियोजित राशि के उपरान्त शेष राशि को निजी क्षेत्र के बैंकों में विनियोजित किया जा सकेगा, बशर्ते उनकी ब्याज दर परिशिष्ट-1 पर संलग्न सूची में सम्मलित बैंको की ब्याज दर से अधिक हो |

7.2 उपरोक्त 7.1 के लिए अनुमत्य निजी क्षेत्र के बैंकों की सूची (परिशिष्ट-3) में सम्मलित किये जाने हेतु मापदण्ड परिशिष्ट-2 के अनुसार होंगे |

7.3 वित्तीय वर्ष 23-24 के आधार पर वित्तीय वर्ष 24-25 हेतु अनुमत्य निजी बैंको की सूची परिशिष्ट 3 पर है | परिशिष्ट-3 में अंकित निजी बैंकों में कोष का विनियोजन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी :

a) परिशिष्ट 1 एवं 3 में अंकित सभी बैंको से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस का समय दिया जायेगा | विशेष परिस्थितियों के आधार पर कारण दर्शित करते हुए समय सीमा को 7 दिवस तक सीमित किया जा सकेगा |

b) बैंको से प्राप्त ब्याज दर प्रस्तावों में से सर्वाधिक ब्याज दर प्रदाय करने वाले बैंक में राशि का विनियोजन किया जा सकेगा | यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज दर के आमंत्रण में परिशिष्ट-1 पर संलग्न सूची में सम्मलित बैंको की ब्याज दर निजी क्षेत्र के बैंको की ब्याज दर से अधिक प्राप्त होने पर उक्त राशि का भी विनियोजन परिशिष्ट-1 पर संलग्न सूची में सम्मलित बैंको में किया जायेगा |

8. निर्वचन तथा समाधान

योजना के क्रियान्वयन में आने वाली किसी समस्या के समाधान हेतु राज्य शासन के अनुमोदन से आयुक्त, संस्थागत वित्त, म.प्र. द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये जा सकेंगे |

9. प्रभावशीलता

9.1 यह अनुदेश पत्र के जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होंगे ।

9.2 परिशिष्ट-2 अनुसार निजी बैंकों की सूची (परिशिष्ट-3) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रकाशित आंकडों के आधार पर सामान्यतः अगस्त माह में अद्यतन कर प्रकाशित की जायेगी । सूची के प्रकाशन तक, पूर्व वित्तीय वर्ष की सूची को निरंतर माना जायेगा ।

9.3 कोष विनियोजन सम्बन्धी उक्त निर्देशों का उल्लंघन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा |

10. इन मार्गदर्शी निर्देशों का पालन कराने का दायित्व संबंधित प्रशासकीय विभाग एवं बजट नियंत्रण अधिकारी का होगा |

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक सअ/शा.पूंजी.नि./1/संविसं/2025/8523 भोपाल, दिनांक 27 मार्च, 2025

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
3. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल
4. निज सचिव / निज सहायक, मान. वित्त मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन भोपाल
5. निज सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
6. निज सचिव, सचिव, वित्त विभाग
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल
8. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
9. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
10. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल
11. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
12. आयुक्त सह पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल
13. संचालक, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली मंत्रालय, भोपाल
14. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
15. समस्त अपर सचिव / उप सचिव अवर सचिव परामर्शी / अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग
16. संचालक पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा मध्यप्रदेश भोपाल
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
18. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
19. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
20. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
21. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्यप्रदेश, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, भोपाल
22. समस्त राज्य स्तरीय प्रमुख, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / स्माल फाइनेंस बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मध्यप्रदेश
23. प्रबन्ध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मार्यादित, प्रधान कार्यालय, भोपाल
24. समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धक, मध्यप्रदेश
25. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित
26. गार्ड फाइल

(राधेश्याम बघेल)
अवर सचिव
म.प्र.शासन,वित्त विभाग

परिशिष्ट- 1

Sr. No.	List of Banks
I	**Public Sector Banks**
I.a.	**Lead Bank Responsibility**
1	State Bank of India
2	Bank of Baroda
3	Bank of India
4	Central Bank of India
5	Indian Bank
6	Punjab National Bank
7	Union Bank of India
I.b.	**Non-Lead Bank Responsibility**
8	Bank of Maharashtra
9	Canara Bank
10	Indian Overseas Bank
11	Punjab & Sind Bank
12	UCO Bank
II	**Regional Rural Bank**
13	Madhya pradesh Gramin Bank
14	Madhyanchal Gramin Bank
III	**Cooperative Bank**
15	M.P. State Cooperative Bank Ltd. Bhopal
16	District Cooperative Central Bank Limited

(राधेश्याम बघेल)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

परिशिष्ट-2

निजी क्षेत्र एवं स्माल फाइनेंस बैंक की वरीयता सूची तैयार किये जाने हेतु विगत वित्तीय वर्ष में बैंक का प्रदर्शन एवं उस आधार पर आवंटित किये जाने वाले अंकों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	विवरण	निर्धारित अंक	आंकड़ों का स्त्रोत
1	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत वार्षिक साख योजना में लक्ष्य के विरूद्ध में राशि वितरण (Disbursement Amount against Annual Credit Plan Target Under Priority Sector)	0.5	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत वार्षिक साख योजना में लक्ष्य के विरूद्ध प्रतिशत वितरण (Disbursement Percent against Annual Credit Plan Target Under Priority Sector)	2	
3	शासन द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं में लक्ष्य विरूद्ध प्राप्ति प्रतिशत (Achievement percentage against target in government sponsored loan schemes)	2	
4	राज्य में ग्रामीण, अर्द्ध शहरी शाखाओं की संख्या (Rural, Semi-Urban Bank Branches in the state)	2	
5	राज्य में एटीएम की संख्या (No. of ATM in State)	0.5	
6	पूंजी से जोखिम (भारित) संपत्ति अनुपात (Capital to Risk Weighted Assets Ratio)	1	इंडियन बैंक एसोशिएशन
7	बैंक में जमा राशि (Deposit)	0.5	
8	साख जमा अनुपात (Credit Deposit Ratio)	1.5	
	कुल अंक (Total Marks)	**10**	

इंडियन बैंक एसोशिएशन एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रकाशित किये जाने वाले आंकड़ों में उच्चतम प्रदर्शन को आधार माना जायेगा एवं उससे तुलनात्मक रूप से गणना कर अन्य बैंकों को आनुपातिक अंक प्रदाय किये जायेंगे।

उपरोक्त आधार पर समस्त निजी एवं स्मॉल फाइनेंस बैंक को अंक प्रदाय किये जाकर वरीयता सूची तैयार की जायेगी। इस सूची में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम प्राप्त अंक 3.5 एवं इससे अधिक अंक प्राप्त किये जाने वाली बैंको को परिशिष्ट 3 अनुसार सूची में सम्मिलित किया जा सकेगा।

यह सूची प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रकाशित होने वाले आंकड़ों के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष के अगस्त माह तक अद्यतन कर प्रकाशित की जायेगी।

****

परिशिष्ट- 3

वित्तीय वर्ष 23-24 के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर वित्तीय वर्ष 24-25 हेतु अनुमत्य निजी बैंको की सूची	
I	**Private Sector Bank**
1	HDFC Bank Ltd.
2	ICICI Bank Ltd.
3	Axis Bank Ltd.
4	Bandhan Bank
5	IDBI Ltd.
6	Kotak Mahindra Bank Ltd.
7	IDFC First Bank Ltd.
8	Indusind Bank Ltd.

(राधेश्याम बघेल)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग